3

सुधार के उपाय तथा नीतिगत पहलें

3.1 उत्पादन में वृद्धि तथा कोयला क्षेत्र में कार्यकुशलता से संबंधित उपाय

3.1.1 वृद्धिक अन्वेषण प्रयास

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डेवलपमेंड इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआईएल) गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की योजना स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए नोडल अभिकरण हैं। सीएमपीडीआईएल मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लि. (एमईसीएल) तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य का निष्पादन करता है। विगत दो वित्त वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गैर सीआईएल लक्ष्य और वास्तविक ड्रीलिंग इस प्रकार है :–

(ड्रिलिंग लाख मीटर में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष के संदर्भ में % वृद्धि
2012-13	1.75	2.28	3%
2013-14	3.62	2.38	4%
2014-15	4.16	2.82	18%
2015-16	4.82	3.20 (अनुमानित)	13% (अनुमानित)
2016-17	3.48		

तालिका 3.1

12वीं योजना अवधि के दौरान 58 गैर–सीआईएल ब्लॉकों में 19.03 लाख मीटर की ड्रिलिंग की आयोजना की गई है। सीएमपीडीआईएल का अपनी विभागीय क्षमता को 2015–16 तक 3.5 लाख मीटर प्रति वर्ष से 4 लाख मीटर / प्रति वर्ष तक बढ़ाने की योजना है ताकि सीआईएल और गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की वृद्धिक मांग को पूरा किया जा सके।

12वीं योजना में सीआईएल में विस्तृत ड्रिलिंग के लिए लक्ष्य 30.52 लाख मीटर है। सीआईएल ब्लॉकों में पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान वास्तविक ड्रिलिंग तथा चालू वित्तीय वर्ष (2015–16) के लिए इस प्रकार हैः–

(ड्रिलिंग लाख मीटर में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष के संदर्भ में % वृद्धि
2012-13	4.07	3.35	23%
2013-14	5.38	4.59	37%
2014-15	7.84	5.25	14%
2015-16	10.18	6.30 (अनुमानित)	20% (अनुमानित)
2016-17	7.52		

तालिका 3.2

उत्पादन में कमी के कई कारण हैं। कई कोयला ब्लॉकों में एक मुख्य समस्या गंभीर कानून तथा व्यवस्था की हैं। ड्रिलिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी का दूसरा कारण वन अनुमोदन की अनुपलब्धता है। पिछले चार/पांच वर्षों से वन अधिकारियों के पास कुल 83 आवेदन विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। लक्ष्यों को प्राप्त न करने के लिए निजी क्षेत्र में कुशल जन शक्ति की कमी और अपर्याप्त क्षमता कुछ अन्य कारण हैं। इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रमुख सार्वभौम कंपनियों को आकर्षित करने हेतु एक नीतिगत आदेश के साथ आगामी वर्षों में सीएमपीडीआईएल को सुदृढ़ करने की आयोजना की जा रही है। यह उम्मीद है कि वन अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

3.1.2 कोल इंडिया लि. में परियोजनाओं को पूर्ण करना तथा मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार

158 चालू परियोजनाएं विभिन्न चरणों में कार्यान्वयनाधीन हैं। 3 एमटीवाई तथा इससे अधिक की क्षमता सहित 500 करोड़ रूपए तथा इससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा सचिव, कोयला मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है । 150 करोड़ रूपए तथा इससे अधिक की लागत वाली सभी परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा की जाती है। इसके अलावा, मंत्रालय सीएबीएसईसी / पीएमजी वेबसाइट पर अपने पोर्टल पर प्राप्त अद्यतन सूचना के माध्यम से सीआईएल की चालू परियोजनाओं की निगरानी करता है ।

सीआईएल ने 458.04 एमटीवाई की अनुमानित क्षमता तथा 79200.01 करोड़ रूपए की अनुमानित पूंजी आवश्यकता सहित 129 नई परियोजनाओं की पहचान की है । इनमें से 171.14 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता और 24150.84 करोड़ रुपए की पूंजीगत आवश्यकता वाली 29 परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है। 200.05 एमटीवाई की अनुमानित क्षमता सहित 77 परियोजना रिपोर्टें तैयार कर ली गई हैं।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए नियमित रूप से अंतर–मंत्रालयी बैठकें की जाती हैं। कोयला मंत्रालय भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण एवं वन अनापत्तियों, राहत एवं पुनर्वास मुद्दों तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति एवं इस क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में राज्य अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करता है ।

3.1.3 कोयला लिंकेज का युक्तीकरण

लिंकेजों के युक्तीकरण की समीक्षा करने हेतु कोयला मंत्रालय द्वारा 13 जून, 2014 को अंतर–मंत्रालयी कार्यबल (आईएमटीएफ) का गठन किया गया था। युक्तीकरण कार्य का उद्देश्य वर्तमान कोयला स्रोतों की व्यापक समीक्षा करना तथा इन स्रोतों के युक्तीकरण की संभाव्यता पर विचार करना है जिससे परिवहन लागत को ईष्टतम किया जा सके और मौजूद तकनीकी बाधाओं के अंतर्गत उसे कार्यरूप दिया जा सके। अंतिम परिणाम समग्र परिवहन लागत को न्यूनतम करना था तथा तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले के मेटीरियलाइजेशन को ईष्टतम बनाना था। आईएमटीएफ की रिपोर्ट फरवरी, 2015 में प्रस्तुत कर दी गई थी।

चरण । के दौरान उन 17 तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए युक्तीकरण कार्यान्वित कर दिया गया है जिनके लिए संशोधित ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) संपन्न कर लिए गए हैं। इसके परिणामतः 24.6 एमटी कोयले की आवाजाही का युक्तीकरण हुआ है और इसके परिणामतः आवर्ती परिवहन लागत में 876.76 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हुई है। चरण –।। के दौरान स्वैप के एक सेट का कार्यान्वयन किया गया है जिसके परिणामतः 1.3 एमटी कोयले की आवाजाही का युक्तीकरण हुआ और 458 करोड़ रुपए की परिवहन लागत की वार्षिक बचत हुई। इस प्रकार कुल मिलाकर 25.9 एमटी कोयले की आवाजाही का युक्तीकरण हुआ है और 1,371 करोड़ रुपए की परिवहन लागत की बचत हुई है।

3.1.3.1 पुराने संयंत्रों को हटाने और नए संयंत्रों को लगाने के समय पुराने संयंत्रों को दिए गए कोयला लिंकेज/एलओए का स्वतः अंतरण

पुराने संयंत्रों को हटाने और उनके स्थान पर नए संयंत्र लगाते समय पुराने संयंत्रों को दिए गए कोयला लिंकेज/एलओए के स्वतः अंतरण हेतु दिशा–निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

इन दिशा–निर्देशों के अधीन पुराने संयंत्रों को दिए गए एलओए/लिंकेज अति महत्वपूर्ण क्षमता वाले नए संयंत्रों को स्वतः अंतरित हो जाएगें। यदि नई महत्वपूर्ण संयंत्र की क्षमता पुराने संयंत्र की क्षमता से अधिक

है तो उपलब्धता को देखते हुए अतिरिक्त कोयला प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा । यह नीति केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही उन पूर्व–एनसीडीपी संयंत्रों पर लागू होगी जिन्हें दीर्घावधिक लिंकेज/एलओए पहले ही प्रदान कर दिए गए हैं । उपर्युक्त विवरण के अनुसार लिंकेज/एलओए के स्वतः अंतरण की अनुमति उसी राज्य में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए होगी जहां पुराना संयंत्र था। तथापि, पुराने संयंत्र जिसने उपयोगी कार्यावधि पूरी कर ली है और जिसे बदला जाना है, को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाना चाहिए।

3.1.3.2 कोयला लिंकेजों की पारदर्शी नीलामी

नियंत्रण मुक्त क्षेत्र अर्थात सीमेंट, इस्पात/स्पंज आयरन, एल्यूमीनियम तथा अन्य [उर्वरक (यूरिया) क्षेत्र को छोड़कर] के संबंध में लिंकेज/एलओए के संबंध में समस्त आबंटन अब से नीलामी पर आधारित होगें। कोयला लिंकेज की प्रस्तावित नीलामी पारदर्शी है, और इसमें प्रतियोगिता की गुंजाइश है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी विपणन सहभागियों को उनके आकार–प्रकार पर ध्यान न देते हुए कोयला लिंकेज प्राप्त करने का उचित अवसर मिलेगा। इस नीति का प्रयास प्रयोक्ता उद्योगों तथा ज्योग्राफियों के बीच कोयले का ईष्टतम आबंटन सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित संरचना का प्रयास अन्त्य उपयोगकर्ताओं को उचित तरीके से कोयला उपलब्ध कराना है। प्रस्तावित नीलामी कार्यपद्धति का उद्देश्य बाजार तंत्र के जरिए मूल्य निर्धारित करना है; इसका उद्देश्य अधिक–से–अधिक राजस्व अर्जन नहीं है।

3.1.3.3 विद्युत क्षेत्र के लिए अनन्य रूप से दो अलग–अलग ई नीलामियों की व्यवस्था

विद्युत क्षेत्र के लिए अनन्य रूप से दो अलग–अलग ई नीलामियों की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था संयंत्रों के लिए की गई है जो कोयले की अनुपलब्धता अथवा कम आपूर्ति समस्या से जूझ रहे हैं। पांच एमटी ई–नीलामी विंडो 20 प्रतिशत प्रीमियम सहित सीआईएल के अधिसूचित न्यूनतम मूल्य के साथ दीर्घ और मध्यम अवधि वाले पीपीए धारकों के लिए की गई थी। दूसरी व्यवस्था 40 प्रतिशत प्रीमियम सहित सीआईएल के अधिसूचित न्यूनतम मूल्य के साथ न्यून अवधि वाले पीपीए धारकों अथवा जिनके पास पीपीए नहीं है उनके लिए की गई थी। अनन्य रूप से विद्युत क्षेत्र के लिए इन व्यवस्थाओं के जरिए ई नीलामी के दो दौरों के लिए 7.37 एमटी कोयला बुक किया गया था।

3.1.3.4 4 एमटी मात्रा के लिए अनन्य रूप से गैर विद्युत क्षेत्र हेतु अलग–अलग ई नीलामियों की व्यवस्था करना

4 एमटी मात्रा के लिए अनन्य रूप से गैर विद्युत क्षेत्र हेतु अलग–अलग ई नीलामियों की व्यवस्था सीआईएल द्वारा सभी गैर विद्युत उपभोक्ताओं के लिए की गई थी। चूंकि यह व्यवस्था गैर विद्युत क्षेत्र के अंत्य उपयोगकर्ताओं के लिए ही उपलब्ध थी इसलिए व्यापारियों को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस नीलामी व्यवस्था के अधीन लगभग 1.2 एमटी कोयला बुक किया गया था।

3.1.4 गुणवत्ता तथा तृतीय पक्ष सैम्पलिंग–हाल ही में लिए गए निर्णय

कोयला कंपनियों और विद्युत कंपनियों/डेवलपरों के बीच विवादों को सुलझाने तथा कोयला आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से तृतीय पक्ष सैम्पलिंग प्रणाली को और बेहतर बनाया गया। सीआईएल द्वारा नियुक्त एजेंसी के अतिरिक्त विद्युत कंपनियों तथा सीईए के प्रतिनिधियों वाली समिति द्वारा प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष नमूना जांचकर्ताओं का पैनल तैयार किया गया। विद्युत कंपनियों/डेवलपरों को इस पैनल से तृतीय पक्ष नमूना जांचकर्ताओं का चयन करने, उनकी नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत किया गया। तथापि एजेंसी द्वारा लदान स्थल पर संकलन और विश्लेषण के आधार पर बिलिंग की जाती है। विद्युत कंपनियों/डेवलपरों द्वारा सैम्पलिंग के संबंध में भुगतान किया जाता है। 25 तृतीय पक्ष एजेंसियों को पैनल में शामिल किया गया था। इस प्रणाली को कई लदान स्थलों पर लागू किया गया। तथापि विद्युत कंपनियों ने इस प्रणाली में और सुधार का अनुरोध किया था।

तदनुसार कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 26.11.2015 को तृतीय पक्ष सैम्पलिंग के संबंध में जारी संशोधित अनुदेशों के अनुसार सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च (सीआईएमएफआर) द्वारा विद्युत संयंत्रों (उपभोक्ता) तथा कोयला कंपनियों (आपूर्तिकर्ता) दोनों ही की ओर से लदान स्थल पर स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसी को पैनल में शामिल किया जाना है। यह पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए तृतीय पक्ष एजेंसियों को सूची में शामिल करेगी।

विद्युत संयंत्र तथा कोयला कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि नमूना लेने की प्रक्रिया तथा परीक्षणशाला नमूने तैयार करने के कार्य का संयुक्त रूप से पर्यवेक्षण करेंगे। नमूना लेने और उसे तैयार करने का कार्य बीआईएस मानदंडों के अनुसार तृतीय पक्ष एजेंसी/स्वतंत्र नमूना लेने वाले के द्वारा किया जाएगा। नमूना लेने वाली स्वतंत्र एजेंसी को देय फीस के भुगतान का वहन कोयला कंपनियां (आपूर्तिकर्ता) तथा विद्युत कंपनी(उपभोक्ता) द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। अंतिम परीक्षणशाला नमूने को 4 भागों में विभक्त किया जाएगा। नमूने का प्रथम भाग सीआईएमएफआर द्वारा नियुक्त सरकारी परीक्षणशाला अथवा एनएबीएल प्रत्यायित परीक्षणशाला में स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा विश्लेषण के लिए है। नमूने का भाग 2 और भाग 3 कोयला कंपनी तथा विद्युत कंपनी को अपनी ओर से किए जाने वाले विश्लेषण के लिए सौंपे जाएंगे। नमूने का भाग 4 जो संदर्भ नमूने के रूप में ज्ञात है को तृतीय पक्ष एजेंसी, कोयला कंपनी और विद्युत संयंत्र के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से सील किया जाएगा और उसे ताले में उचित रूप से बंद करके तृतीय पक्ष एजेंसी के पास रखा जाएगा। संदर्भ नमूने को नमूना लेने की तारीख से 30 दिन की अवधि तक रखा जाएगा।

तृतीय पक्ष एजेंसी नमूना लेने के 18 कार्य दिवसों के भीतर नमूने के विश्लेषण के परिणामों की सूचना कोयला कंपनी और विद्युत संयंत्र को देगी। यदि कोई विवाद हो तो उसे कोयला कंपनी अथवा विद्युत कंपनी तृतीय पक्ष द्वारा परिणाम प्रस्तुत करने की तारीख से 7 दिन के भीतर उठा सकती हैं। निर्धारित अवधि के भीतर उठाए गए विवाद के मामले में संदर्भ सैम्पल का किसी सरकारी परीक्षणशाला में विश्लेषण किया जाएगा।

यह नई प्रणाली एनसीएल ने दिनांक 01.01.2016 से शुरू की है और उसके बाद अन्य सहायक कंपनियों में इसे शुरू किया गया है।

3.1.5 सीआईएल में प्रौद्योगिकी विकास तथा खानों का आधुनिकीकरण

सीआईएल में खानों के प्रौद्योगिकी विकास तथा आधुनिकीकरण का अध्ययन करने और सलाह देने के लिए सीआईएल/सीएमपीडीआईएल ने जान टी बायड कंपनी (यूएसए) के सहयोग से केएमपीजी एडवाइजरी ग्रुप (इंडिया) को रखा है। अध्ययन हेतु विचारार्थ विषय निम्नवत हैं:–

- सीआईएल के विभिन्न कोलफील्डों की भूमिगत खानों तथा ओपनकास्ट खानों में सुरक्षा, उत्पादन और उत्पादकता के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी की स्थिति का आकलन करना;
- सीआईएल के विभिन्न कोलफील्डों में भूमिगत तथा ओपनकास्ट खानों में प्रौद्योगिकी उन्नयन की कमियों का आकलन करना;
- 12वीं, 13वीं तथा 14वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए सीआईएल की अनुमानित कोयला उत्पादन योजनाओं के संदर्भ में खान आयोजना एवं खान डिजायन और निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी तथा अवसंरचनात्मक विकास की आवश्यकता का मूल्यांकन करना;
- अनुमानित प्रौद्योगिकी उन्नयन आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात निर्भरता की तुलना में घरेलू क्षमताओं का मूल्यांकन करना;
- कोलफील्ड–वार अनुमानित प्रौद्योगिकी उन्नयन को पूरा करने के लिए पद्धति विकास का आकलन तथा अवरोधों का मूल्यांकन करना;
- प्रौद्योगिकी विकास में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग तथा ओटोमेशन का मूल्यांकन करना;
- विभिन्न योजना अवधियों में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए रूपरेखा तैयार करना।

जो अध्ययन पूरा हुआ है उसमें 36 भूमिगत खानें, 35 ओपनकास्ट खानें और 14 अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित 14 कोलफील्डों के 85 यूनिटें शामिल हैं। 'प्रौद्योगिकी विकास तथा कोल इंडिया लि. की खानों के आधुनिकीकरण' के संबंध में अंतिम रिपोर्ट 30.11.2014 को प्रस्तुत कर दी गई है । इसे सीआईएल द्वारा कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया गया है।

3.2 आग, धंसाव तथा पुनर्वास संबंधी समस्याओं का समाधान करने हेतु मास्टर प्लान

प्रत्येक पांच वर्षों के लिए दो चरण में 10/12 वर्षों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न ईएमएससी योजनाओं के लिए पूर्व में स्वीकृत 116.23 करोड़ रूपए को छोड़कर 9657.61 करोड़ रूपए (7028.40 करोड़ रूपए झरिया

कोलफील्ड के लिए तथा 2629.21 करोड़ रूपए रानीगंज कोलफील्ड के लिए) अनुमानित पूंजी निवेश से आग, धंसाव तथा पुनर्वास से निपटने की झरिया और रानीगंज कोलफील्डों तथा सतही–अवसंरचना के परितर्वन की मास्टर योजना अगस्त, 2009 में अनुमोदित की गई है।

झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः गैर–बीसीसीएल/गैर–ईसीएल मकानों के पुनर्वास हेतु झरिया पुनर्वास तथा विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) और आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) की कार्यान्वयन अभिकरणों के रूप में पहचान की गई है।

झारिया में जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है और पुनर्वास के लिए अतिक्रमण करने वाले 91879 परिवारों की पहचान की गई है। जी प्लस 8 निर्माण तथा 4 स्थानों पर एकीकृत बस्तियों का विकास करके पुनर्वास हेतु भूमि समतल बनाने का प्रस्ताव है।

आरसीएफ में जनसांख्यीकिय सर्वेक्षण कार्य सभी 126 स्थानों के लिए पूरा हो गया है। जेसीएफ में मास्टर प्लान के अनुसार 595 स्थानों पर 54159 परिवारों का सर्वेक्षण किया जाना था लेकिन 434 स्थानों पर 75768 परिवारों के संबंध में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है।

जेसीएफ सेटेलाइट टाउनशिप में बेलगोरिया पुनर्वास बस्ती ''झारिया बिहार'' में 3072 मकानों का निर्माण किया गया है जिनमें 1340 परिवारों को स्थानांतरित किया गया है। बीएसपीयू मकानों में 2000 यूनिटों में से जेएनएनयूआरएम मानदंडों (कार्पेट क्षेत्र 25.10 वर्ग मीटर) के अनुसार मकानों का निर्माण हो रहा है जिनमें से 720 यूनिटों का निर्माण पूरा हो गया है और शेष यूनिटों का निर्माण चल रहा है। बेलगोरिया बस्ती चरण ।।। में जेआरडीए द्वारा जी प्लस 3 (4 मंजिले भवन) के 2000 यूनिटों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

बीसीसीएल में 1496 मकानों का निर्माण किया गया है। आग लगने तथा धंसाव की संभावना वाले क्षेत्रों से परिवारों को इन मकानों में स्थानांतरित कर दिया गया है। बीसीसीएल द्वारा और 4080 मकानों का निर्माण पूरा होने वाला है। विभिन्न गैर कोयलाधारी क्षेत्रों में 4020 तिमंजीले क्वार्टरों का निर्माण पूरा होने वाला है। 2248 (बी.सी.डी. टाइप) तीन मंजिले मकानों तथा 4008 तीन मंजिले खनक क्वार्टरों का निर्माण शुरू कर दिया गया है।

3.3 भूमि के पुनरूद्धार के लिए सेटेलाइट निगरानी

सतत विकास के लिए खनित क्षेत्रों का पुनरूद्धार महत्वपूर्ण है। उपयुक्त पुनरूद्धार (तकनीकी तथा जैविक दोनों) तथा खान क्लोजर पर बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय रिमोट सेसिंग केन्द्र, हैदराबाद के साथ भागीदारी द्वारा भूमि के पुनरूद्धार के लिए सेटेलाइट निगरानी पर अपेक्षित बल दिया जा रहा है। 31.03.2015 की स्थिति के

अनुसार वर्ष 2014–15 के लिए उत्खनित तथा पुनरूद्धार किए गए क्षेत्र के कंपनी–वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं–

कंपनी	उत्खनित भूमि (हैक्टेयर)	पुनःद्वार की गई भूमि (हेक्टेयर में)	
		जैविक	तकनीकी
डब्ल्यूसीएल	11423.96	4305.68	4745.36
एसईसीएल	10441.14	5327.51	3362.57
एनसीएल	11278.00	5768.00	3050.00
एनसीएल	5270.95	1553.52	1791.52
सीसीएल	7625.95	3306.78	2193.69
बीसीसीएल	1821.19	306.23	1152.41
ईसीएल	2175.12	639.25	1024.04
एनईसी	279.29	118.57	120.92
कुल सीआईएल	50315.60	21325.54	17440.51
एससीसीएल	4471.59	1278.42	

तालिका 3.3

वर्ष 2015–16 के संबंध में इमेज व्याख्या तथा विश्लेषण का कार्य चल रहा है और अंतिम संकलन के बाद विश्लेषण के परिणाम (फरवरी के अंत तक) प्राप्त होने की उम्मीद है। वर्ष 2015–16 के संबंध में सहायक कंपनीवार भूमि उद्धार की स्थिति इन परिणामों के आधार पर बाद में अद्यतन की जाएगी।

3.4 एडीआरएम मंच के जरिए विवादों का समाधान

सचिव (कोयला) ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों को दिनांक 09.09.2015 के अपने अ.शा.पत्र के जरिए अनुरोध किया है कि सीआईएल (और उसकी सहायक कंपनियों) तथा राज्य विद्युत एजेंसियों के बीच विवादों का समाधान एडीआरएम मंच के जरिए करने के लिए अपनी सरकारों की इस शर्त के साथ सहमति प्रदान करें कि वे एडीआरएम समिति के निर्णय को स्वीकार करेंगी और अन्य न्यायिक मंचों में इस संबंध में अपील नहीं करेंगी। कुछ राज्यों से उत्तर/सहमति प्राप्त हो गई है।